

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर  
“इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम”  
कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार “इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम” विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 20.02.2017 से 24.02.2017 तक आयोजित किया गया है।



इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 39 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री संजीव नैन, सहायक निदेशक (प्रशासन) ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरुआत की व इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रातः 10.15 से सांय 05.00 तक रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी, संगठित अपराधों से सम्बन्धित जानकारी, साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया, गिफ्तारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं में अभियोजन, विधि विज्ञान, साइबर क्राइम, प्रवर्तन एवं राजस्व क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने उपस्थित होकर व्याख्यान दिये साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त एवं मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव प्रशिक्षणार्थियों से साझा किये।

कोर्स के दौरान श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने आर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न केसेज के बारे में बताते हुए आर्गेनाइज्ड क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी दी।

श्री एम.एम. अत्रे, आईजीपी (से.नि.) ने कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया एवं संगठित अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियुक्तों की गिरफ्तारी से संबन्धित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। श्री आर.एस. शर्मा, सहायक निदेशक (से.नि.), एफ.एस.एल., जयपुर ने संगठित अपराधों के अनुसंधान में डॉक्यूमेंट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी।

श्री योगेन्द्र जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने भू माफियाओं से सम्बन्धित संगठित अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक ने संगठित अपराधों के अनुसंधान में मोबाइल फोन की उपयोगिता के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री गिरवर सिंह, आरटीएस (से.नि.) ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में संगठित अपराधों के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

श्री विवेक श्रीवास्तव, ज्वाइन्ट डायरेक्टर (ई.डी.), जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग के क्षेत्र में संगठित अपराधों के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री शान्तनु कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस, जयपुर ने संगठित अपराधों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण केसेज की केस स्टडी के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री आर.सी. शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने आर्थिक अपराधों एवं संगठित अपराधों से सम्बन्धित हाल ही की महत्वपूर्ण केसेज की केस स्टडी के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने ड्रग ट्रैफिकिंग एवं नार्को टैरिज्म पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री जी.एल. शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक (से.नि.) ने संगठित अपराधों के मामलों में अपने सम्पूर्ण सेवा काल के अनुभव का सिंहावलोकन प्रस्तुत कर विधिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, जयपुर ने संगठित अपराधों में साइबर क्राइम से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री रेवन्त दान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर ने राजमार्गों पर लूट, अपहरण एवं फिरौती के संगठित अपराधों से सम्बन्धित अनुसंधान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री डी.पी. सैनी, एडीपी (से.नि.) ने गम्भीर संगठित अपराधों के अभियोजन एवं केस स्टडीज पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स के अंतिम दिवस दिनांक 24.02.2017, शुक्रवार को 03:00 P.M. पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन-समारोह अकादमी स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 01 में किया गया।